विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–294/2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–21.05.2026
अंतिम सुनवाई/बहस का दिनांक–01.07.2026
निर्णय की दिनांक–01.07.2026

Det Microwave
(Buwakhal)
Pauri Garhwal वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल। विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

Det Microwave (Buwakhal) Pauri Garhwal का शिकायती पत्र दिनांक 21.05.2026 को **CGRF PORTAL** से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की–

Kindly refer to the subject cited above, in this regard it is hereby informed that UPCL transformer at Buakhal BTS site. Pauri has again got faulty on dated 15.03.2025 night hours. Earlier a month ago the same transformer was got replaced as old one got burnt due to lightening.

As this BTS site is catering media to 4-5 other BTS sites in adjoining area, therefore huge

public complaints/grievances are being received in this office.

In order to provide seamless BSNL Voice/Data services to the public. It is requested to kindly arrange for urgent repair/replacement of the transformer for uninterrupted UPCL supply please. Further it is requested to kindly arrange to place the transformer at some suitable place so that fault may be minimized due to lightening please.

1/7/2026

1/7/2026

इस हतु वादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी गढवाल को अपने पत्रांक सं0 996, दिनांक 23.05.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 03 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 1005, दिनांक 19.06.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–722 /विविखपौ0/दिनांक 22.06.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उपभोक्ता के क्षतिग्रस्त विद्युत परिवर्तक के स्थान पर नवीन विद्युत परिवर्तक स्थापित कर दिया गया है। साथ ही उपभोक्ता के अनुरोध पर विद्युत परिवर्तक का स्थान भी परिवर्तित कर दिया गया है।

आज दिनांक 01.07.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा वादी के खराब ट्रांसफार्मर के स्थान पर नया ट्रांसफार्मर स्थापित एवं उसको अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

आदेश

वादी की शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत का नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया है। वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। **पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

1/7/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

1/7/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

/
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 01.07.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

1/7/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

1/7/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

/
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–295/2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–25.05.2026
अंतिम सुनवाई/बहस का दिनांक–14.07.2026
निर्णय की दिनांक–14.07.2026

श्री सत्यानन्द डंगवाल
ग्राम–उफल्डा, नियर मनोज ऑटो
श्रीनगर गढवाल। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल। — विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता) — कोरम

वादी श्री सत्यानन्द डंगवाल, पुत्र स्व0 श्री घनानन्द डंगवाल, ग्राम–उफल्डा, नियर मनोज ऑटो, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 25.05.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि वादी का संयोजन सं0– SN25332068708 है, उनके गांव कोठार, पट्टी– डागर, टिहरी गढवाल में भवन वर्ष 2020 से बन्द है, वादी द्वारा 2020 के समस्त बिल विभाग में जमा करा दिये गये थे जिसक पश्चात् उनके द्वारा विभागीय कर्मचारी को अपने संयोजन विच्छेदित करने या खराब मापक के स्थान पर नया मापक स्थापित करने हेतु अवगत कराया गया था परन्तु आतिथि तक न ही संयोजन विच्छेदित हो पाया है और न ही परिसर पर नया मापक स्थापित किया गया है। वादी को वर्ष 2022 से किसी भी प्रकार का बिल उपलब्ध नहीं

14/7/2026 14/7/2026 14/07/26

कराया गया था परन्तु दिनांक 18.04.2026 को रू0 16787.00 का बिल प्राप्त हुआ है, जिससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। उक्त खराब मापके सम्बन्ध मे वादी द्वारा विद्युत विभाग में भी शिकायत की गई थी तथापि आज तक उनकी समस्या का सामाधान नही हो पाया है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 997, दिनांक 25.05.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 1003, दिनांक 16.06.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी उपखण्ड, कीर्तिनगर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–476 विविउपखण्ड / शि0, दिनांक 13.07.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उपभोक्ता श्री सदानन्द डंगवाल (संयोजन सं0–SN25332068708) का मीटर घर के अन्दर लगा है तथा काफी समय से घर बन्द होने के कारण बिल नही बनाया जा सका। इसके पश्चात् जब अप्रैल माह में घर खुला तो मीटर IDF पाया गया। काफी समय बाद बिल बनने तथा IDF में बिल के बनने के कारण उपभोक्ता को अधिक धनराशि का बिल प्राप्त हुआ।

इसके निस्तारण हेतु उपभोक्ता का मीटर बदलने हेतु रजिस्ट्रेशन किया गया है (20807260790) तथा बिल सुधार के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नये मीटर लगने के पश्चात् आई औसत खपत के आधार पर उपभोक्ता का उचित बिल संशोधित किया जायेगा।

14/7/2026

14/7/2026

14/07/26

आज दिनांक 14.07.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया एवं बिल विवरण से ज्ञात हुआ है कि वादी का बिल माह 12 / 2022 के पश्चात् माह 04 / 2026 में निर्गत किया गया है, क्योंकि वादी का भवन बंद था। वर्तमान में वादी का मापक खराब चल रहा है।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि विद्युत मापक बदलने की तिथि तक के समस्त बिल माह 12 / 2022 से 01 वर्ष पूर्व के बिलों के मासिक उपभोग के आधार पर संशोधित करें एवं वादी का खराब मापक अधिकतम 15 दिवस के भीतर परिवर्तित करना सुनिश्चित करें, जिसकी अनुपालन आख्या 01 माह के भीतर मंच को उपलब्ध करायें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

14/7/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

14/7/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

14/07/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 14.07.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

14/7/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

14/7/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

14/07/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–296 / 2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–29.05.2026
अंतिम सुनवाई / बहस का दिनांक–14.07.2026
निर्णय की दिनांक–14.07.2026

श्री विक्रम सिंह
ग्राम–भटकोट, पो0–देवप्रयाग
टिहरी गढवाल। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल। — विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता) — कोरम

वादी श्री विक्रम सिंह, ग्राम–भटकोट, पो0–देवप्रयाग, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 29.05.2026 को देवप्रयाग शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि उनका विद्युत बिल खपत की अपेक्षा बहुत अधिक आ रहा है, वादी के विद्युत बिल में किलोवाट 8 / 10 दर्शाया गया है जो कि काफी ज्यादा है। वादी का कहना है कि क्या उनके संयोजन पर किलोवाट बढाया गया है जिसकी उनको कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। खपत के आधार पर किलोवाट को कम किया जाये एवं बिल की एम0आर0आई0 की जाए और विभाग द्वारा वादी से रू0 50000 से अधिक विद्युत बिल लिया गया है जिसकी विस्तृत जानकारी दी जाये। बिल में बढे हुये किलोवाट को कम

14/7/2026 14/7/2026 14/07/26

करने की कृपा करें। साथ ही वादी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उपरोक्त विद्युत बिल वादी के पिताजी के नाम (श्री बचन सिंह) पर है जिनकी मृत्यू हो चुकी है, अतः उक्त विद्युत संयोजन को वादी के नाम पर कर दिया जाये। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 998, दिनांक 30.05.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 1004, दिनांक 16.06.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1920 / विविखश्री / दिनांक 03.07.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि अप्रैल 2024 से नये Tariff के अनुसार उपभोक्ता का बीजक KWH के स्थान पर KVAH में बनना आरम्भ हुआ एवं उपभोक्ता के संयोजन की जांच करने पर यह संज्ञान मे आया है कि उपभोक्ता के संयोजन का पावर फैक्टर कम प्रदर्शित हो रहा है जिससे बीजक के KWH यूनिट एवं KVAH यूनिट में अन्तर प्रदर्शित हो रहा है एवं उपभोक्ता को उनके पूर्व बिल के सापेक्ष वर्तमान में KVAH यूनिट पर बिल बनने के कारण बिल अधिक प्रतीत हो रहा है। साथ ही उपभोक्ता के बीजक में त्रुटि उत्पन्न हुई जिसे इस कार्यालय के पत्रांक सं0 4486 दिनांक 04.12.2025 के माध्यम से उपभोक्ता के बीजक में समायोजन किया जा चुका है। उपभोक्ता द्वारा अपना विद्युत भार / संयोजन का नाम बदलवाने हेतु किसी भी कार्यदिवस में खण्ड कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज प्रेषित करवाने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

14/7/2026

14/7/2026

14/07/26

आज दिनांक 14.07.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है वादी को रीडिंग के आधार पर बिल निर्गत किये जा रहे हैं। वादी की बिलिंग KVAH आधार पर की जाती है एवं Power Factor कम होने पर भी वादी का बिल बढ जायेगा।

आदेश

वादी को नियमानुसार बिल निर्गत किये जा रहे हैं। वादी को सलाह दी जाती है कि वह अपने यहां उचित क्षमता का कैपेस्टर लगायें जिससे कि KVAH बिलिंग होने के कारण वादी पर अनावश्यक भार न पडे।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

14/7/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

14/7/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

14/07/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 14.07.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

14/7/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

14/7/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

14/07/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–299/2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–22.06.2026
अंतिम सुनवाई/बहस का दिनांक–14.07.2026
निर्णय की दिनांक–14.07.2026

श्री गोपाल सारण
ग्राम–देउराडी, ब्लॉक–पोखरा
पौडी गढवाल। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल। — विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता) — कोरम

वादी श्री गोपाल सारण, ग्राम–देउरारी, ब्लॉक–पोखरा, चौबट्टाखाल, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 22.06.2026 को CGRF PORTAL से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि तूफान आने पर विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है, एवं वादी के संयोजन की विद्युत सप्लाई करने वाला पोल भी प्रभावित हो जाता है। 40 मीटर दूर एक बीपीएल पोल है जिसमें इस्तेमाल किया गया तार बिल्कुल घटिया गुणवत्ता का तार है, यह तूफान के दौरान काफी हिलता है जिससे वादी की विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि विद्युत आपूर्ति ठीक करने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी गढवाल को अपने पत्रांक सं0 1007, दिनांक 22.06.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

14/7/2026 14/7/2026 14/07/26

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 1023, दिनांक 09.07.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–900 वि0वि0ख0(पौ0)/उपाकालि/ दिनांक 09.07.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उपभोक्ता श्री गोपाल सारण, ग्राम–देवराडी मल्ली, विकास खण्ड पोखडा के परिसर से सम्बन्धित शिकायत का निस्तारण दिनांक 24.06.2026 को कर दिया गया है। वर्तमान में उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति सामान्य है।

आज दिनांक 14.07.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा दिनांक 24.06.2026 को वादी की विद्युत आपूर्ति को ठीक कर दिया गया है।

आदेश

वादी की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार शिकातय का निस्ताण कर दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

14/7/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

14/7/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

14/07/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 14.07.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

14/7/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

14/7/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

14/07/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–307/2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–24.06.2026
अंतिम सुनवाई/बहस का दिनांक–29.07.2026
निर्णय की दिनांक–29.07.2026

श्री मनबर सिंह
थलीसैंण
पौडी गढवाल।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीडांडा।

विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

कोरम

वादी श्री मनबर सिंह, थलीसैंण पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 24.06.2026 को थलीसैंण शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी उनके द्वारा लगाये सोलर मीटर को आतिथि तक सिस्टम में नहीं चढाया गया है। जिस कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नैनीडांडा को अपने पत्रांक सं0 1014, दिनांक 24.06.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–552 वि0वि0ख0(नै0)/उपाकालि/ दिनांक 27.07.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि श्री मनबर सिंह,

29/7/2026 29/7/2026 29/07/26

ग्राम–कैन्यूर, पो0–थलीसैंण, का वर्तमान में Solar Status Update कर Net Metering के अनुसार बिल निर्गत कर दिया गया है।

आज दिनांक 29.07.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा Solar Status Update किया जा चुका है तथा Net Metering के अनुसार बिल भी जारी कर दिया गया है।

आदेश

वादी की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार शिकातय का निस्तारण कर दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

29/7/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

29/7/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

29/07/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 29.07.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

29/7/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

29/7/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

29/07/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–308/2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–24.06.2026
अंतिम सुनवाई/बहस का दिनांक–29.07.2026
निर्णय की दिनांक–29.07.2026

श्री गंगा सिंह
ग्राम–कपरोली, पट्टी–चोपडा
पौडी गढवाल। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीडांडा। — विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता) — कोरम

वादी श्री गंगा सिंह, ग्राम–कपरोली, पट्टी–चोपडा, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 24.06.2026 को थलीसैंण शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी उनका विद्युत संयोजन संख्या ND24312300533 है। विगत 02 माह से परिवादी के ऊपर अत्यधिक विद्युत बिल आ रहा है, जिससे वह काफी परेशान है एवं वादी द्वारा बिल को संशोधित करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नैनीडांडा को अपने पत्रांक सं0 1015, दिनांक 24.06.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

29/7/2026 29/7/2026 29/07/26

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–553 वि0वि0ख0(नै0) / उपाकालि / दिनांक 27.07.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान में उपभोक्ता की मीटर रीडिंग 6626KWH है। किन्तु यदि उपभोक्ता की मीटर की गुणवत्ता पर सन्देह है तो उपखण्ड कार्यालय मे चैक मीटर हेतु आवेदन करने का कष्ट करें।

आज दिनांक 29.07.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी को रीडिंग के आधार पर ही बिल निर्गत किये जा रहे हैं।

आदेश

वादी को नियमानुसार रीडिंग के बिल निर्गत किये जा रहे हैं। यदि वादी को ऐंसा प्रतीत होता है कि उनका विद्युत मापक ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है या तेज चल रहा है तो वह विपक्षी के कार्यालय में उपस्थित होकर चैक मीटर हेतु आवेदन करें और अपेक्षित फीस जमा करायें, जिसके पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

29/7/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

29/7/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

29/07/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 29.07.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

29/7/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

29/7/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

29/07/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–309/2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–24.06.2026
अंतिम सुनवाई/बहस का दिनांक–29.07.2026
निर्णय की दिनांक–29.07.2026

सुश्री जसुली देवी
थलीसैंण
पौडी गढवाल। — वादिनी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीडांडा। — विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता) — कोरम

वादिनी सुश्री जसुली देवी, थलीसैंण, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 24.06.2026 को थलीसैंण शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादिनी द्वारा शिकायत की गई थी उनका विद्युत संयोजन संख्या ND14313353555 है। वादिनी को उनकी खपत से अधिक विद्युत बिल प्रेषित हो रहे हैं, जबकि उनके मतानुसार किसी भी प्रकार की अन्य खपत नहीं की जाती है, वादिनी द्वारा अपने विद्युत बिल को ठीक करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस हेतु वादिनी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नैनीडांडा को अपने पत्रांक सं0 1016, दिनांक 24.06.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

29/7/2026 29/7/2026 29/07/26

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–554 वि0वि0ख0(नै0) / उपाकालि / दिनांक 27.07.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है सुश्री जसुली देवी, थलीसैंण का बिल मीटर में प्रदर्शित रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किया गया है ।

आज दिनांक 29.07.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादिनी को रीडिंग के आधार पर ही बिल निर्गत किये जा रहे हैं।

आदेश

वादिनी को नियमानुसार रीडिंग के बिल निर्गत किये जा रहे हैं। यदि वादिनी को ऐंसा प्रतीत होता है कि उनका विद्युत मापक ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है या तेज चल रहा है तो वह विपक्षी के कार्यालय में उपस्थित होकर चैक मीटर हेतु आवेदन करें और अपेक्षित फीस जमा करायें, जिसके पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादिनी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

29/7/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

29/7/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

29/07/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 29.07.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

29/7/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

29/7/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

29/07/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–310/2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–24.06.2026
अंतिम सुनवाई/बहस का दिनांक–29.07.2026
निर्णय की दिनांक–29.07.2026

श्री शिवराज सिंह
थलीसैंण
पौडी गढवाल। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीडांडा। — विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता) — कोरम

वादी श्री शिवराज सिंह, थलीसैंण, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 24.06.2026 को थलीसैंण शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी उनका विद्युत संयोजन संख्या ND14313300669 है। वादी का विद्युत बिल काफी अधिक आ रहा है, जबकि उनके मतानुसार किसी भी प्रकार की अन्य खपत नहीं की जाती है, वादी द्वारा अपने विद्युत बिल को ठीक करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नैनीडांडा को अपने पत्रांक सं0 1017, दिनांक 24.06.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

29/7/2026 29/7/2026 29/07/26

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–555 वि0वि0ख0(नै0) / उपाकालि / दिनांक 27.07.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि श्री शिवराज सिंह, थलीसैंण का वर्तमान मे उपभोक्ता की मीटर सीलिंग पोस्ट होने के पश्चात् मीटर यूनिट पर बिल निर्गत किया जा चुका है।

आज दिनांक 29.07.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा वादी के मापक में सीलिंग पोस्ट होने के पश्चात् MU पर बिल निर्गत कर दिया गया है।

आदेश

वादी की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

29/7/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

29/7/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

29/07/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 29.07.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

29/7/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

29/7/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

29/07/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल बिद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–315/2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–18.07.2026
अंतिम सुनवाई/बहस का दिनांक–29.07.2026
निर्णय की दिनांक–29.07.2026

श्री हर्षपाल सिंह बिष्ट
ग्राम–मटेला तल्ला, पो0–बैजरो
पौडी गढवाल। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीडांडा। — विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता) — कोरम

वादी श्री हर्षपाल सिंह बिष्ट, ग्राम–मटेला तल्ला, पो0–बैजरो, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 18.07.2026 को CGRF PORTAL से प्राप्त हुआ था, जिसमें शिकायत की गई थी कि वादी का पंजीकरण सं0–111606260306 है। जिसमें उनके द्वारा अपने विद्युत लोड को 04 कि0वा0 से 01 कि0वा0 करने हेतु अनुरोध किया गया था। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नैनीडांडा को अपने पत्रांक सं0 1027, दिनांक 20.07.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–558 वि0वि0ख0(नै0)/उपाकालि/ दिनांक 28.07.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि श्री हर्षपाल सिंह बिष्ट,

29/7/2026 29/7/2026 29/07/26

ग्राम–मटेला तल्ला, पो0–बैजरों, पौडी गढवाल द्वारा स्वयं से ही ऑनलाईन माध्यम से नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया है, जिसमें उनके द्वारा स्वयं से 04 किलोवाट लोड की प्रविष्टि की गई है। वर्तमान में शिकायतकर्ता द्वारा आवेदित विद्युत संयोजन (Reference No. 111606260306) Consumer Payment में है तथा इसमें संशोधन किया जाना सम्भव नही है। यदि शिकायतकर्ता 01 किलोवाट लोड का विद्युत संयोजन चाहता है तो पुनः 01 किलोवाट विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करना होगा तथा पूर्व में किये गये आवेदन को निरस्त करवाने हेतु अनुरोध करना होगा।

आज दिनांक 29.07.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा स्वयं ही 04 किलोवाट के नवीन विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था। संयोजन का Reference No. 111606260306) Consumer Payment में है, इसके पश्चात् लोड में संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है।

आदेश

वादी को सूचित किया जाता है कि आप अपने आवेदित 04 किलोवाट के विद्युत संयोजन को निरस्त करते हुए विपक्षी के कार्यालय में उपस्थित होकर नये 01 किलोवाट के विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

29/7/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

29/7/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

29/07/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 29.07.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

29/7/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

29/7/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

29/07/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)